

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0अ0 (अ0उ0)4515 -01-73/2025 369 /पटना, दिनांक- 14/2/25
प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा0प्र0से0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अवयव के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सामान्य मद में जहानाबाद जिला अन्तर्गत कुल 166 पथों के पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अवयव के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सामान्य मद में जहानाबाद जिला अन्तर्गत कुल 166 पथों (लम्बाई 273.219 कि0मी0) के पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल सात वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु स्वीकृति पर सक्षम स्तर (मंत्रिपरिषद्) से प्राप्त अनुमोदन के आलोक में कुल राशि 225.00342 करोड़ रुपये की समेकित रूप से प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान की जाती है जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

Sl No.	Division	Block	Road Name	Length (in Km)	Cost of Initial Rectification, Minor improvement If required and Surface Renewal (In Lkhs)	Cost of 6-years Operation & Management (O&M) cost (in Lakhs)	Emergent & Price Adjustment @ 15% Cost (in lakhs)	Administrative Cost and Contingency Cost [@ 2.25% +1%] (in lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	Jehanaad	Hulasganj	Nahar To Daudpur Kwela road under MMGSY	1.800	102.957	17.273	18.034	3.907	142.171
2	Jehanaad	Hulasganj	PWD Road To Salempur Banwariya	2.300	89.270	19.817	16.363	3.545	128.995
3	Jehanabad	Jehanabad	L022-T01 To Patariya	3.450	135.888	33.522	25.412	5.506	200.328
4	Jehanabad	Jehanabad	PCC Road Adampur Ashiya To Bulak Bighn Via Shiva	2.700	223.942	26.667	37.591	8.145	296.345
5	Jehanabad	Jehanabad	Adampur-Ashiya road To Rajabazar	1.250	136.640	5.510	21.323	4.620	168.093
6	Jehanabad	Jehanabad	Adampur-Ashiya road To Mahabda road	2.500	102.017	21.994	18.602	4.030	146.643
7	Jehanabad	Jehanabad	Tali Kinari PMGSY Road To Daudpur	1.500	54.518	10.813	9.800	2.123	77.254

10/2/25

141	Jahanabad	Ratni Faridpur	MDR Road to Badhona	0.350	16.212	3.647	2.979	0.645	23.483
142	Jahanabad	Ratni Faridpur	Sawanbigha to Sikandarpur	0.570	25.945	5.908	4.778	1.035	37.666
143	Jahanabad	Ratni Faridpur	L039 - GOPPOCHAK TO6 MOLANACHAK (TRACK29)	1.210	85.578	11.512	14.564	3.156	114.810
144	Jahanabad	Ratni Faridpur	Kinger Kurtha road to sohraiya.	2.950	201.854	26.153	34.201	7.410	269.618
145	Jahanabad	Ratni Faridpur	Ballapur To Mustichak	0.830	59.164	7.122	9.943	2.154	78.383
146	Jahanabad	Ratni Faridpur	Mudera To Gopalpur	2.300	173.029	18.200	28.684	6.215	226.128
147	Jahanabad	Ratni Faridpur	Jehanabad Arwal Road NH 110 - Jhunathi Kurd	0.900	52.030	7.524	8.933	1.936	70.423
148	Jahanabad	Ratni Faridpur	L025-SAKURABAD GHEJAN T04 TO CHAGORI (TRACK16)	1.500	57.078	15.026	10.816	2.343	85.263
149	Jahanabad	Ratni Faridpur	L040-Pondol canal to Baduali (TRACK98)	1.490	63.655	13.728	11.608	2.515	91.506
150	Jahanabad	Ratni Faridpur	GAPPOCHAK TO KAJICHAK	0.600	29.908	3.706	5.042	1.092	39.748
151	Jahanabad	Ratni Faridpur	KINDUI MALLAH CHAK ROAD TO PACHASHI	0.330	27.888	3.304	4.679	1.014	36.885
152	Jahanabad	Ratni Faridpur	REPAIR OF ROAD FROM KUNDILA MORE TO INDER BIGHA WAZIRGANJ	0.600	52.987	2.660	8.347	1.808	65.802
153	Jahanabad	Ratni Faridpur	L046-HAZAMPUR T05 TO BIJLIPUR (TRACK7)	0.500	22.601	4.847	4.117	0.892	32.457
154	Jahanabad	Ratni Faridpur	L045-SAKURABAD KURTHA ROAD TO LADDU BIGHA (TRACK6)	0.600	42.843	2.994	6.875	1.489	54.201
155	Jahanabad	Modanganj	L046 to Makhdumpur Baba to Nawada	0.605	25.548	6.039	4.738	1.027	37.352
156	Jahanabad	Modanganj	L0 51 Laxman Bigha to Santoshia Bigha	0.500	21.081	4.523	3.841	0.832	30.277
157	Jahanabad	Modanganj	Bisunpur-Sedikpur Via Anandpur	0.250	10.867	1.429	1.844	0.399	14.539
158	Jahanabad	Modanganj	Ghanabigha to Muriya Bigha	0.800	47.893	7.883	8.366	1.813	65.955
159	Jahanabad	Modanganj	L027-T04 to Pariyawan	0.655	25.251	3.221	4.271	0.926	33.669

141

160	Jahanabad	Modanganj	Okari Bishunpur Masadh road	2.160	156.889	20.249	26.571	5.756	209.465
161	Jahanabad	Modanganj	Dhamapur to Saristabad	3.155	199.891	30.145	34.505	7.476	272.017
162	Jahanabad	Modanganj	Tarwa Dhanarua To Uren Jalapur	1.400	59.141	12.532	10.751	2.329	84.753
163	Jahanabad	Modanganj	NH-110 Mananpur road To Girdharpur	2.540	175.923	22.376	29.745	6.444	234.488
164	Jahanabad	Modanganj	Okri to Paharpur	4.270	316.779	39.320	53.415	11.573	421.087
165	Jahanabad	Modanganj	L037-T03 to Maiwan	1.085	74.759	10.081	12.726	2.758	100.324
166	Jahanabad	Modanganj	L021-T01 To Jagdari	2.400	134,907	20.906	23.372	5.063	184.248
Total (166 No. Roads)				273.219	16663.920	2363.899	2854.172	618.350	22500.342

- मांग संख्या-37-मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष - 00, लघु शीर्ष -103-सामान्य मद के लिए योजना, उपशीर्ष -0121- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (सामान्य मद), विषय शीर्ष-5301 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड-37-4515-00-103-0121, मूल बजट उपबंध-625 करोड़ रु है। निर्धारित Bank of Sanction के अतिरिक्त दिनांक 02.08.2024 एवं 22.01.2025 को लोक वित्त समिति द्वारा योजनाओं के प्रशासनिक अनुमोदन हेतु क्रमशः राशि 1500 करोड़ रुपये एवं 16125 करोड़ रुपये की छूट दी गई है। वर्णित पथ के नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण एवं कुल सात वर्षों तक संचालन एवं प्रबंधन की कुल राशि उपलब्ध Bank of Sanction की राशि के अन्तर्गत है।
- इस कार्यक्रम अंतर्गत वर्णित पथों के समेकित प्रशासनिक अनुमोदनोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प संख्या- 1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प संख्या-1718 दिनांक 15.11.2024 में उल्लेखित दिशा निर्देश के आलोक में यथासंभव प्रखंडवार/अनुमंडलवार पथों का पैकेज तैयार कर निविदा के माध्यम से कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।
- प्रशासनिक अनुमोदन संबंधित स्वीकृत्यादेश में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होने पर इसका संशोधन विभागीय सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव द्वारा किया जा सकेगा।
- सारणी में अंकित योजनाओं के समेकित प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्ताव एवं उपरोक्त कंडिकाओं (क्रमांक- 1 से 4) पर सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् द्वारा संचिका संख्या-मु0अ0 (अ0उ0)4515 -01-73/2025 में दिनांक-13.02.2025 को मद संख्या -23 के रूप में स्वीकृति प्राप्त हैं।
- प्रशासनिक स्वीकृति हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश में किसी भी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होने पर संबंधित कार्यपालक अभियंता इसकी सूचना मुख्यालय को अविलम्ब देना सुनिश्चित करेंगे।
- पथ के नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु होने वाले सभी व्यय का विकलन योजना शीर्ष 4515 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगा।
- संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों को विशिष्ट के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनागा एवं सुरांगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- वर्णित योजना से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प सं0-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं0-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं0-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में रूटीन अनुरक्षण/त्रुटि निवारण अवधि से बाहर पथों को क्षेत्रीय कार्य प्रमंडलों द्वारा विभागीय MIS पर की गई प्रविष्टि के

Handwritten signature


- आलोक में जो अद्यतन किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं है, को ग्रामीण पथ सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य कराया जाना है।
10. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
 11. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 12. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित योजना किसी अन्य योजना से स्वीकृत अथवा पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के अधीन नहीं है।
 13. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।
 14. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित दिशा निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
 15. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
 16. प्राक्कलन की विशिष्टताओं एवं Bidding Documents में निर्धारित नियमों के अनुसार Initial Rectification, Minor Improvement and Strengthening/Widening, Surface Renewal एवं Operation & Management का कार्य स-समय पूर्ण करना सुनिश्चित किया जायेगा।
 17. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक विभागीय MIS पर ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
 18. सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर योजना के कार्यान्वयन के क्रम में Bidding Documents में निर्धारित निरीक्षण Schedules के अनुसार अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।
 19. वर्णित योजना का क्रियान्वयन निर्धारित मापदण्डों एवं समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार सम्पन्न कराया जाना संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल के जिम्मेवारी होगी।
 20. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-17 के आलोक में संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।
 21. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-11 के आलोक में स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-मु0अ0 (अ0उ0)4515 -01-73/2025 के पृ0- 19/टि0 पर दिनांक- 14-12-25 को प्राप्त है।

विश्वसभाजन
 (अरुणचल कुमार सिंह)
 विशेष सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0 (अ0उ0)4515 -01-73/2025
प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को

369
सूचनार्थ

/पटना, दिनांक- 14/4/25
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0 (अ0उ0)4515 -01-73/2025

369

/पटना, दिनांक- 14/4/25

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, विकास आयुक्त, बिहार, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव